न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 258 / 2025
सीता स्वंय सहायता समूह उचित मूल्य दुकानदार, जवाहरपुरा पोस मशीन कोड 29543 तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं जरिये सचिव शारदा देवी

–– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं।

–– रेस्पोडेन्ट

––

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 23.08.2024 जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं बाबत् सीता स्वयं सहायता समूह जवाहपुरा उचित मूल्य दुकानदार जवाहरपुरा

––

उपस्थितः–

1. श्री अशोक कुमार शर्मा , एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से
2. श्रीमती अनामिका, विभागीय पैरोकार– रेस्पोडेन्ट की ओर से

आदेश

दिनांक 03.09.2025

उक्त विषयक अपील विद्वान जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 23.08.2024 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट के अनुसार अपील निम्न प्रकार पेश है कि जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं ने अपने आदेश में दर्ज किया कि ''उचित मूल्य दुकानदार को जारी पोस मशीन सं0 29543 में गेहूं के दर्ज स्टॉक 89.34 क्विंटल के स्थान पर 15 क्विंटल गेंहू ही भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया। इस प्रकार 74.34 क्विंटल गेहं उचित मूल्य की दुकान पर नहीं पाया गया व सूचना पट्ट व मूल्य व स्टॉक सूचनाओं व स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं पाया गया।'' जबकि अपीलान्ट के यहां गेहूं का स्टॉक पूर्ण था दुकान छोटी होने तथा ज्यादा पास होने के कारण पास की दुकान में गेहूं रखा गया था जिसका सत्यापन अपीलान्ट द्वारा करवा दिया गया। किसी भी प्रकार का अपीलान्ट द्वारा 74.34 क्विंटल गेहूं का गबन नहीं किया गया। परन्तु प्रर्वतन निरीक्षक मलसीसर द्वारा अन्य इरादे से गलत रिपोर्ट बनाकर रेस्पोडेन्ट को प्रस्तुत की गई जिस पर अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट से सम्पर्क कर सारी स्थिति से अवगत करवा दिया। बावजूद इसके रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट प्राधिकार पत्र संख्या 232 / 2018 निरस्त करने में गलती की है। इसलिए आदेश दिनांक 23.08.2024 निरस्त होने योग्य है। प्रवर्तन निरीक्षक मलसीसर द्वारा तैयार गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकरण पत्र संख्या 232 / 2018 को रेस्पोडेन्ट द्वारा बिना अपीलान्ट को सुनवाई किए एकतरफा कार्यवाही कर निरस्त कर दिया। इसलिए रेस्पोडेन्ट का आदेश दिनांक 23.08.2024 को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट सेवामें प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट के अनुसार अपील निम्न प्रकार पेश है कि जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं ने अपने आदेश में दर्ज किया कि ''उचित मूल्य दुकानदार को जारी पोस मशीन सं0 29543 में गेहूं के दर्ज स्टॉक 89.34 क्विंटल के स्थान पर 15 क्विंटल गेंहू ही भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया। इस

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

प्रकार 74.34 क्विंटल गेहं उचित मूल्य की दुकान पर नहीं पाया गया व सूचना पट्ट व मूल्य व स्टॉक सूचनाओं व स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं पाया गया।'' जबकि अपीलान्ट के यहां गेहूं का स्टॉक पूर्ण था दुकान छोटी होने तथा ज्यादा पास होने के कारण पास की दुकान में गेहूं रखा गया था जिसका सत्यापन अपीलान्ट द्वारा करवा दिया गया। किसी भी प्रकार का अपीलान्ट द्वारा 74.34 क्विंटल गेहूं का गबन नहीं किया गया। परन्तु प्रर्वतन निरीक्षक मलसीसर द्वारा अन्य इरादे से गलत रिपोर्ट बनाकर रेस्पोडेन्ट को प्रस्तुत की गई जिस पर अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट से सम्पर्क कर सारी स्थिति से अवगत करवा दिया। बावजूद इसके रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट प्राधिकार पत्र संख्या 232/2018 निरस्त करने में गलती की है। इसलिए आदेश दिनांक 23.08.2024 निरस्त होने योग्य है। प्रवर्तन निरीक्षक मलसीसर द्वारा तैयार गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकरण पत्र संख्या 232/2018 को रेस्पोडेन्ट द्वारा बिना अपीलान्ट को सुनवाई किए एकतरफा कार्यवाही कर निरस्त कर दिया। अपीलान्ट को न तो कोई नोटिस दिया गया है और न ही सुनवाई का कोई मौका दिया गया है। इसलिए रेस्पोडेन्ट का आदेश दिनांक 23.08.2024 को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान विभागीय पैरोकार ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट को स्वीकृत राशन की दुकान पर ही राशन सामग्री रखनी चाहिए थी। अपीलान्ट दूसरी जगह राशन सामग्री का स्टॉक नही रख सकता है। अपीलान्ट द्वारा बताई गई दूसरी दुकान जिसमे सामान रखा था वह प्रमाणित स्थल नही है। अपीलान्ट को नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर अपीलान्ट के स्वयं के हस्ताक्षर है। अपीलान्ट जिस राशन की दुकान की बहाली चाहता है वह रिक्त हो चुकी है। उक्त राशन की दुकान पर राशन डीलर नियुक्ति हेतु आवेदन जमा लिये जा चुके है। नये राशन डीलर की नियुक्ति की पत्रावली मे सक्षम स्तर पर अनुमोदन होने वाला है। अपीलान्ट ने 74.24 क्विंटल गेहूं का गबन किया है। अपीलान्ट की यह बेबुनियाद व सारहीन है। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील अपीलान्ट व विभागीय प्रतिनिधि पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। विभागीय प्रतिनिधि द्वारा की गई बहस मे अहम तर्क यह रहे कि अपीलान्ट को स्वीकृत राशन की दुकान पर ही राशन सामग्री रखनी चाहिए थी। अपीलान्ट दूसरी जगह राशन सामग्री का स्टॉक नही रख सकता है। अपीलान्ट द्वारा बताई गई दूसरी दुकान जिसमे सामान रखा था वह प्रमाणित स्थल नही है। अपीलान्ट को नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर अपीलान्ट के स्वयं के हस्ताक्षर है। अपीलान्ट जिस राशन की दुकान की बहाली चाहता है वह रिक्त हो चुकी है। उक्त राशन की दुकान पर राशन डीलर नियुक्ति हेतु आवेदन जमा लिये जा चुके है। नये राशन डीलर की नियुक्ति की पत्रावली मे सक्षम स्तर पर अनुमोदन होने वाला है। चूंकि अपीलान्ट अप्रमाणित स्थल पर गेहूं रखने का दोषी है जिसके संबंध मे अपीलान्ट द्वारा कोई पर्याप्त आधार प्रस्तुत नही किया गया है। मौका निरीक्षण मे 74.24 क्विंटल गेहूं कम मिला है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर स्वयं अपीलान्ट के हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की यह अपील सारहीन व बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने से अपीलान्ट की यह अपील खारीज की जाती है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं